रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-17102026-277254
SG-DL-E-17102026-277254

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 28] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 15, 2026/आश्विन 23, 1948 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 250

No. 28] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 15, 2026/ASVINA 23, 1948 [N. C. T. D. No. 250

भाग II—I
PART II—I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 15 अक्तूबर, 2026

फा. सं. 109/नियम/डीएचसी— दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 (1966 का अधिनियम संख्या 26) की धारा 7, सहपठित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का अधिनियम संख्या 5) की धाराओं 122 और 129, लेटर्स पेटेंट, 1919 के खंड 27 तथा इस संबंध में उसे सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के न्यायालयों में लागू पंजाब उच्च न्यायालय के नियमों एवं आदेशों में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करता है:-

संशोधन

उक्त पंजाब उच्च न्यायालय के नियमों एवं आदेशों के खंड IV में, अध्याय 12-बी के नियम 5 के खंड (iii) में, जहां-जहां “बीस रुपये” शब्द आते हैं, उनके स्थान पर “पचास रुपये” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

नोट: यह संशोधन राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।

न्यायालय के आदेशानुसार,

रितेश सिंह, महानिबंधक

HIGH COURT OF DELHI: NEW DELHI

NOTIFICATION

Delhi, the 15th October, 2026

F. No. 109/Rules/DHC.— In exercise of the powers conferred by Section 7 of the Delhi High Court Act,1966 (Act 26 of 1966) read with Sections 122 and 129 of the Code of Civil Procedure, 1908 (Act No. 5 of 1908) and clause 27 of the Letters Patent of 1919 and all other powers enabling it in this behalf, the High Court of Delhi, with the prior approval of the Lt. Governor of the Government of the National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following amendments in the Rules and orders of the Punjab High Court as applicable in the Courts of the National Capital Territory of Delhi with immediate effect, namely :-

AMENDMENT

In the said Punjab High Court Rules and Orders in Volume IV thereof, in Chapter 12-B, in rule 5, clause (iii), for the words "Rupees twenty" wherever, they occur, the words "Rupees fifty" shall be substituted.

NOTE: THIS AMENDMENT SHALL COME INTO FORCE FROM THE DATE OF ITS PUBLICATION IN THE GAZETTE.

By Order of the Court,

REETESH SINGH, Registrar General

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. BHABAJIT DEKA